

“बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी.2-22-छत्तीसगढ़ गजट / 38 सि. से. भिलाई. दिनांक 30-05-2001.”



पंजीयन क्रमांक
“छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2013-2015.”

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)
प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 198]

रायपुर, गुरुवार, दिनांक 4 मई 2023 — वैशाख 14, शक 1945

परिवहन विभाग

मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर अटल नगर

अटल नगर, दिनांक 26 अप्रैल 2023

अधिसूचना

क्रमांक एफ 5-9/आठ-परि./2022. — छत्तीसगढ़ मोटरयान नियम, 1994 में और संशोधन का निम्नलिखित प्रारूप, जिसे राज्य सरकार, मोटरयान अधिनियम, 1988 (क्र. 59 सन् 1988) की धारा 65 सहपठित धारा 212 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, बनाना प्रस्तावित करती है, उक्त अधिनियम की धारा 212 की उप-धारा (1) द्वारा अपेक्षित किए गए अनुसार, ऐसे समस्त व्यक्तियों की जानकारी के लिए, जिनके कि इससे प्रभावित होने की संभावना है, एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है और एतद्वारा सूचित किया जाता है कि उक्त प्रारूप पर इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से तीस दिवस के अवसान के पश्चात् विचार किया जाएगा।

कोई आपत्ति या सुझाव, जो उक्त प्रारूप के संबंध में किसी व्यक्ति से विनिर्दिष्ट कालावधि के पूर्व सचिव (परिवहन) छत्तीसगढ़ शासन, महानदी भवन, मंत्रालय, नवा रायपुर अटल नगर, रायपुर के कार्यालय में कार्यालयीन समय में प्राप्त हो, पर छत्तीसगढ़ शासन द्वारा विचार किया जाएगा।

संशोधन प्रारूप

उक्त नियमों में,—

नियम 158 के उप-नियम (5) के स्थान पर, निम्नलिखित उप-नियम प्रतिस्थापित किया जाये, अर्थात्—

“(5) इस नियम में अन्तर्विष्ट कोई भी बात, उस मोटरयान पर लागू नहीं होगी, जो इस नियम के प्रवृत्त होने की तारीख के पहले पंजीकृत हो।”

उक्त संशोधन, अधिसूचना क्रमांक एफ 5-11/आठ-परि./2013, दिनांक 31 दिसम्बर, 2013 से प्रभावशील होगा।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
आर.पी. पाण्डेय, उप-सचिव.

Atal Nagar, the 26th April 2023

NOTIFICATION

No. F 5-9/VIII-Trans./2022. - The following draft of further amendment in the Chhattisgarh Motor Vehicles Rules, 1994, which the State Government, in exercise of the powers conferred by Section 65 read with Section 212 of the Motor Vehicles Act, 1988 (No. 59 of 1988), proposes to make, is hereby, published as required by sub-section (1) of Section 212 of the said Act, for the information of all persons likely to be affected thereby and notice is hereby given that the said draft shall be taken into consideration on the expiry of thirty days from the date of publication of this notice in the Official Gazette.

Any objection or suggestions regarding the said draft received from any person, before the specified period, in office hours in the office of the Secretary (Transport), Government of Chhattisgarh, Mahanadi Bhawan, Mantralaya, Nawa Raipur Atal Nagar, Raipur, shall be considered by the Government of Chhattisgarh.

DRAFT AMENDMENT

In the said rules,-

For sub-rule (5) of rule 158, the following shall be substituted, namely-

"(5) Nothing contained in this rule shall apply to a Motor Vehicle which is registered before the date on which this rule comes into force."

This amendment shall be effective from the issue of Notification No. F-5-11/Eight-Circle/2013, dated 31st December, 2013.

By order and in the name of the Governor of Chhattisgarh,
R.P. PANDAY, Deputy Secretary.